# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)**

## अपील संख्या : 2024/306

1. महफूज अहमद आत्मज मकसूद अहमद
2. फरियाद अहमद आत्मज मकसूद अहमद
3. मन्सूर अहमद आत्मज मकसूद अहमद
4. परवेज अहमद आत्मज मकसूद अहमद

जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम कुराड, तहसील कनवास, जिला कोटा राज0।

---अपीलांटगण

**बनाम**

1. शाहिद अहमद आत्मज जहीर अहमद निवासी ग्राम कुराड उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।
2. रफीका बैगम पुत्री नशीर अहमद बैवा हलीम भाई, निवासी घेरे वाले बाबा के सामने, शबनम मंजिल, छावनी कोटा राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः 19.02.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 187/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना–पत्र में सजरा परिवार अंकित करते हुए कथन किया कि नसीर अहमद के मरने के बाद उनके खाते की आराजी में कोई हक नहीं रहा है तथा रफीका बेगम मकसूद अहमद, जहीर अहमद का पुत्र ही बिस्मिल्ला के वारिसान है तथा बिस्मिल्ला की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करने के हकदार है। बिस्मिल्ला का फौती इंतकाल संख्या 748 दिनांक 19.08.1992 जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम तस्दीक किया गया है, वह जिस वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है वह वसीयत अवैध है, ऐसी वसीयत न तो बिस्मिल्ला के द्वारा की गई है और

ना ही बिस्मिल्ला के 1/3 हिस्से की वसीयत इंतकाल के पृष्ठ भाग पर दर्ज है। बिस्मिल्ला द्वारा जो वसीयत दिनांक 22.10.1991 को निष्पादित करना बताया गया है उस वसीयत में कहीं भी बिस्मिल्ला के 1/3 हिस्से का उल्लेख नहीं किया गया है। तथा वसीयत में खसरा नम्बर 201 में से 35 बीघा भूमि की वसीयत करने कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि खसरा नम्बर में बिस्मिल्ला का 35 बीघा पर हक बनता ही नहीं है। इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर जो इंतकाल खोला गया है वह अवैध होने से निरस्तनीय है एवं कानूनी रूप से मुस्लिम कानून में 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत नहीं की जा सकती है तथा ऐसी वसीयत के लिए अन्य वारिसान की सहमति एवं स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। बिस्मिल्ला द्वारा बिना अन्य वारिसान की स्वीकृति के 1/3 हिस्से से अधिक की वसीयत करने का बिस्मिल्ला को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वादग्रस्त आराजी गत खसरा नम्बर 175, 201, 497, 532, 611, 612, 678, 679, 740, 613/1093 के नवीन खसरा नम्बर 692, 376, 379, 380, 863/1862, 900, 1119, 1118, 1162, 1159, 1260, 1117 कायम किए गए तथा जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 376, 379, 380, 692, 863/1862, 900, 1117, 1118, 1119, 1120, 1159, 1162, 1260 कुल किता 30 कुल रकबा 19.96 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थना–पत्र की पैरा संख्या 8 में वर्णित आराजी में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज है जो उन्होने उनके द्वारा अपनी दादी बिस्मिल्ला की फर्जी वसीयत से दर्ज कराया गया है। जबकि बिस्मिल्ला के 1/3 हिस्से में प्रार्थीनी संख्या 2 बिस्मिल्ला की पुत्री रफीका तथा प्रार्थी कम 1 का एवं अप्रार्थी कम 5 का नाम दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थी कम 1 लगायत 4 द्वारा बिस्मिल्ला का हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने से प्रार्थीगण के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है तथा प्रार्थीगण अपना हिस्सा सुरक्षित रखते है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 को प्रार्थीगण के हितों पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। तथा प्रार्थीगण को बिस्मिल्ला के फौती इंतकाल संख्या 748 को अवैध एवं निरस्त घोषित कराने का अधिकार है। प्रार्थी संख्या 1 का बिस्मिल्ला के हिस्से में 7/16 हिस्सा तथा प्रार्थिनी संख्या 2 का 2/16 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 5 का 7/16 हिस्सा बनता है। मोके पर आज भी वादग्रस्त आराजी में बिस्मिल्ला के हिस्से में से प्रार्थीगण अपने हिस्सो पर काबिह काश्त है तथा महमूद आलम जो कि पाकिस्तान चला गया है, के हिस्से में से 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। वाद कारण अप्रार्थीगण द्वारा बिस्मिल्ला के फोती इंतकाल के द्वारा रिकॉर्ड का फायदा उठाकर कुछ आराजी खुर्द–बुर्द कर दी है तथा शेष आराजी खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण अवैध तरीके से तस्दीक करवाये गये बिस्मिल्ला के फौती इंतकाल के आधार पर रिकॉर्ड के आधार पर आराजी में में बिस्मिल्ला के हिस्से को खुर्द–बुर्द करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में नहीं की जा सकेगी तथा व्यर्थ की वाद कारिता बढ़ेगी तथा वाद पेश करना निरर्थक हो जावेगा। अन्त में वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण रहन, बैय, खुर्द–बुर्द नहीं करे तथा ताफैसला वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करने और ना ही किसी एजेन्ट से करावें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2024 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवकता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण को उपरोक्त आलौच्य आदेश दिनांक 01.08.2024 की जानकारी कभी भी नहीं रही है और ना ही अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रकरण में बहस करने के लिये या सीनियर अधिवक्ता कोटा से आयेगें या वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। इस सम्बंध में अपीलांट को नहीं बताया गया जबकि अपीलांट्स का अपने अधिवक्ता से मोबाईल पर निरंतर सम्पर्क रहा, परंतु उन्होनें कभी भी उक्त आलीच्य आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित होने की कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद दिनांक 16.10.2024 को अपीलांट्स को तहसील कार्यालय से हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि उनकी वाद वर्णित भूमि पर स्थगन आदेश न्यायालय से हुआ है. जिसका नोट लगवाने हेतु रेस्पोडेन्ट कार्यालय में आये है। यदि अपीलांटगण ने उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील कर रखी हो या उसमें कोई आदेश पारित हो रहा हो तो वह आकर बताये। इस पर अपीलांटगण तुरन्त ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और उनका बताया कि क्या न्यायालय में चल रहे मामले में उनके विरूद्ध स्थगन आदेश पारित हुआ है तो अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.10.2024 को उक्त आलौच्य आदेश की जानकारी दी तो इस पर तुरन्त ही नकल हेतु आवेदन दिनांक 17.10.2024 किया गया और नकल दिनांक 24.10.2024 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट को प्रथम बार उपरोक्त आलौच्य आदेश की जानकारी दिनांक 17.10.2024 को हुई है। आदेश की दिनांक 01.08.2024 से लेकर 24.10.2024 तक का समय कंडोन किया जाकर अपील को जानकारी की दिनांक से अवधि मध्य मानते हुये अपील पर सुनवाई किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना

आवश्यक है। अतः मियाद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में दिनांक 01.08.2024 से लेकर 24.10.2024 तक का विलम्ब हुआ है, उक्त व्यतीत अवधि को कडोन फरमाया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आदेश जैर अपील न्याय एवं सिंचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति बखूबी प्रकट एवं प्रमाणित थी कि अपीलांटगण वाद वर्णित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार एवं शाति पूर्वक काबिज काश्तकार चले आ रहे है। तदुपरान्त भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर मनमानी रीति से अपीलांट्स को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना बाला–बाला ही उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो कि कानूनन त्रुटि पूर्ण होने से व कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 01.08.2024 में गलत व गैर कानूनी तरीके से प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होना लिखा है, परंतु यह तीनों ही बिन्दु किस आधार पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है। इस सम्बंध में कोई फाईण्डिग या कोई कारण आदेश में नहीं दिया है। इस प्रकार उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश है। इस आधार पर आलौच्य आदेश दिनांक 01.08.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये और ना ही उन्होनें कोई बहस की। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय बहस सुनकर उक्त आदेश पारित किया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ राजस्व रिकॉर्ड की नकल, रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह पत्रावली में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन करते हुये और प्रस्तुत किये गये दस्तावेज का अवलोकन कर स्थगन के सम्बध में आदेश पारित करते। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब के दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। वाद वर्णित भूमि पर अपीलांट्स बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है और यह स्वीकृत स्थिति है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कब्जे के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती साथ ही अपीलांटगण रिकॉर्डेड खातेदार है और सन् 1992 से बतौर खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के कब्जे के बिना ही अपीलांटगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार के विरूद्ध आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित किया है जो प्रथम दृष्ट्या ही कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में वाद की सुनवाई की अधिकारिता ही नहीं थी। चूंकि जब तक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पंजीकृत वसीयतनामा को निरस्त करवाये बिना

रेस्पोडेन्ट का वाद पोषणीय नहीं था तो फिर स्थगन प्रार्थना पत्र पर किस प्रकार आदेश पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी स्थिति को नजरअंदाज करते हुये अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट्स वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र में आवश्यक पक्षकार है। अपीलांट्स को भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा के माध्यम से प्राप्त हुई है और तत्पश्चात् से अपीलांटगण भूमि के बतौर खातेदार मालिक चले आ रहे है और अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि के सम्बंध में किसी भी न्यायालय को अपीलांटगण की सुनवाई का अवसर दिये बिना स्थगन आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून के प्रतिपादित सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया गया कि अपीलांट्स के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 748 दिनांक 19.08.1992 को खोला गया है। उक्त इतकाल के विरूद्ध वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व किसी भी सक्षम न्यायालय के यहां से नामान्तकरण को कैन्सिल करने के सम्बंध में कोई भी विधिक कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई है। वाद को चलते हुये लगभग 16 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। आज दिनांक तक भी उक्त नामान्तकरण के सम्बंध में किसी प्रकार की कोई सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के यहां नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भी उक्त आदेश नामान्तकरण को बिना कैन्सिल करवाये पारित करवाया गया है, जो कि प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र अपीलांटगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को अवैध व निष्प्रभावी बताते हुये प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बंध में अपीलांट्स का निवेदन है कि वसीयतनामा निरस्तीकरण के सम्बंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को न कि राजस्व न्यायालय को। जब तक सिविल न्यायालय के यहां से उक्त वसीयतनामा को कैन्सिल नहीं करवा लिया जाता तब तक वादी का वाद राजस्व न्यायालय में विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है। उपरोक्तानुसार अपीलांटगण खातेदार मालिक काबिज होते हुये भी अपने मालिकाना स्वामित्व की भूमि का उपयोग उपभोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर पा रहे है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि खातेदार व रजिस्टर्ड मालिक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलांट के जवाब प्रार्थना–पत्र व संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट था कि अपीलांट्स सन् 1992 से रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर सक्षम अधिकारी तहसीलदार सांगोद द्वारा खोले गये नामान्तकरण के तहत बतौर खातेदार भूमि पर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार अपीलांट्स के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस है और सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है और अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट्स के पक्ष में ही निहित है जबकि रेस्पोडेन्ट का न तो वाद वर्णित भूमि पर कब्जा रहा है और ना ही आज है और ना ही रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बंध वाद वर्णित भूमि है। इस प्रकार तीनों ही बिन्दु रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने

आदेश दिनांक 01.08.2024 पारित करने में गलती की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आलौच्य आदेश दिनाक 01.08.2024 के द्वारा अपीलांट्स की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्थगन आदेश पारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलांट्स अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने से वंचित हो गये है और रेस्पोडेन्ट इस गलत आदेश की आड़ में अपीलांट्स को ब्लेकमेल कर अवैध रूप से राशि की मांग कर रहा है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस परं मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2065 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कुराड की खाता संख्या 373 की कुल किता 13 कुल रकबा 19.96 हैक्टेयर भूमि महबूब आलम पुत्र नसीर मोहम्मद, महफूज अहमद, फरियाद अहमद, मंसुर अहमद, परवेज अहमद पुत्र मकसूद अहमद तथा मकसूद अहमद पुत्र नसीर मोहम्मद की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि बिस्मिल्ला के फोती इंतकाल संख्या 748 दिनांक 19.08.1992 वसीयत के आधार पर अपीलांटगण के पक्ष में तस्दीक किया गया है परन्तु उक्त वसीयत फर्जी होने से प्रश्नगत इंतकाल संख्या 748 अवैध है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण ने स्वयं को बिस्मिल्ला का वारिस होना बताकर वादग्रस्त भूमि में हक अधिकार निहित होने का कथन किया है तथा वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को काबिज काश्त होने का कथन किया है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में कब्जे काश्त एवं हक अधिकारों को लेकर उभयपक्षकारान ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका था तथा प्रकरण वास्ते बहस अंतिम नियत था। अतः हमारे मत में अधीनस्थ

न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुए उभयपक्षकारान की बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता की बहस नहीं सुनकर केवल प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 01.08.2024 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में प्रश्नगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। अतः हमारे मत में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 187/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 27.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा